न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/84/2018

उनवान

1. लक्ष्मण पिता रामलाल कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. देवकिशन पिता रामलाल कीर निवासी पोटला मृत के बजाय–
   1/1 रूकमणी देवी फौत के बजाय –
   1/2 शांतिलाल फौत के बजाय–
   1/2/1–चिराग पिता शांतिलाल जरिये संरक्षक माता राजी पत्नि स्व0 शांतिलाल कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा
   1/2/2–सोनू पुत्री शांतिलाल जरिये संरक्षक माता राजी पत्नि स्व0 शांतिलाल कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा
   1/2/3–राजी पत्नि स्व0शांतिलाल कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा
   1/3–शंकरलाल पिता देवकिशन कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
   1/4– नंदुदेवी पुत्री देवकिशन कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
   1/5– गणिया पुत्री देवकिशन कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
2. रामलाल पिता भेरा कीर निवासी पोटला मृत के बजाय–
   2/1 तुलछी पुत्री रामलाल कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2/2 मांगी पुत्री रामलाल कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

2/3 सोहनलाल पिता रामलाल कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

3. डालचंद पिता भेरा कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा का नाम फौत होने से (आदेश दिनांक 7.8.19 से हटाया गया)
4. रतनलाल पिता नारू कीर निवासी पोटला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के

प्रकरण संख्या 100/2007 निर्णय दिनांक 26.12.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री महेश दाधीच , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री एल.एल.टेलर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1से 4

निर्णय

दिनांक 05.09.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पोटला तहसील सहाड़ा के खाता संख्या 113 में स्थित साबिक आराजीयात खसरा संख्या 1747/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आ0नं0 1749 रकबा 13 बिस्वा, आ0नं0 2543/1क रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, आ0नं0 2581 रकबा 4 बीघा, आ0नं0 2597 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आ0नं0 2598 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, आ0नं0 2653 रकबा 17 बिस्वा, आ0नं0 2654 रकबा 1 बीघा 7बिस्वा, आ0नं0 2655/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आ0नं0 2661 रकबा 12 बिस्वा, आ0नं0 2662 रकबा 14 बिस्वा,

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आ0नं0 2663 रकबा 1 बिस्वा, आ0नं0 2665 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, आ0नं0 2666 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आ0नं0 2797 रकबा 9 बिस्वा, आ0नं0 2814/2रकबा 2 बिस्वा, आ0नं0 3774/1 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, आ0नं0 2823 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आ0नं0 2824 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आ0नं0 2826 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, आ0नं0 2827 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आ0नं0 3939/4 रकबा 3 बीघा कुल कीता 23 कुल रकबा 54 बीघा 9 बिस्वा भूमि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2023 से 2026 के अनुसार नवीन आराजी नम्बर व नवीन रकबा कायम किया जो नवीन खाता संख्या 1235 में दर्ज है जिसके अनुसार आराजी नम्बर 4632 रकबा 0.18 है0, आ0नं0 4633 रकबा 0.25 है0, आ0नं0 4800 रकबा 0.28 है0, आ0नं0 4801 रकबा 0.01 है0, आ0नं0 4803 रकबा 0.23है0, आ0नं0 4804 रकबा 0.30 है0, आ0नं0 4985 रकबा 0.18 है0, 4986 रकबा 0.42 है0, 4994 रकबा 0.44 है0, 5093 रकबा 0.36 है0, 5094 रकबा 0.44 है0, 5095 रकबा 0.04 है0, 5096 रकबा 0.15 है0, 5097 रकबा 0.97 है0, 5098 रकबा 0.75 है0, 5099 रकबा 0.16 है0, 5100 रकबा 0.72 है0, 5101 रकबा 0.70 है0, 5102 रकबा 0.07 है0, 5226 रकबा 0.09 है0, 5227 रकबा 0.73 है0, 5228/7790 रकबा 0.04 है0, 5248 रकबा 0.56 है0, 5249 रकबा 0.04 है0, 5250 रकबा 0.06 है0, 5251 रकबा 0.07 है0, 5274 रकबा 0.02 है0, 5275 रकबा 0.01 है0, 5276 रकबा 0.46 है0, 5277 रकबा 0.55 है0, 5279 रकबा 0.67 है0, 6490 रकबा 0.05 है0, 6491 रकबा 0.06 है0, 6492 रकबा 0.03 है0, 6493 रकबा 0.27 है0, 6494 रकबा 0.04 है0, 6495 रकबा 0.02 है0 कुल कीता 37 कुल रकबा 10.16 है0 भूमि स्थित होकर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वजों का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित न होने के कारण विपक्षीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1/1,1/2, 2,3 तथा 4

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

लगायत 5 के नाम चली आ रही है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का सजरा निम्नानुसार है–

भेरा –मूल पुरूष (फौत)

रामलाल(फौत) | नारू(फौत) | डालचन्द

नारू(फौत) → रतन

रामलाल(फौत) → देवकिशन(फौत) | सोहनलाल | लक्ष्मण | तुलछी(पुत्री) | मांगी(पुत्री)

देवकिशन(फौत) → रूकमणी देवी(पत्नि) | शांतिलाल | शंकरलाल | नंदुदेवी(पुत्री) | गणिया(पुत्री)

2. उक्त सजरा अनुसार भेरा के सबसे बडे पुत्र रामलाल विपक्षी संख्या 1 के कायम मुकाम प्रत्यर्थी संख्या 2/1, 2/2, 2/3, का 1/3 हिस्सा बनता है उक्त हिस्से में विपक्षीगण किसी के हक में स्थानान्तरण नहीं करावें। राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार की हेराफेरी न करावें न ही प्रार्थीगण/प्रत्यर्थी संख्या 1 के कायम मुकाम व 2 के कायम मुकाम को कब्जे से बेदखल नही करें। विपक्षीगण को मूलवाद के ताफैसला तक वादग्रस्त आराजीयात में अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. बहस में अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी सं0 1 देवकिशन ने ग्राम पोटला के नवीन खाता संख्या 1235 में दर्ज आराजीयात कीता 37 कुल रकबा 10.16 हैक्टर में अपने पिता रामलाल के दर्ज हिस्से में से 1/12 के लिए एक वाद घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। इसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसे स्वीकार करते हुए अपीलार्थी/अप्रार्थी सं0 2 एवं प्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1 के वारिसान व अप्रार्थी सं0 1/प्रत्यर्थी सं0 2 के वारिसान तथा अप्रार्थी/प्रत्यर्थी सं0 3–4 के विरूद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्व0 रामलाल जी की भूमि जो कि पक्षकारान की मौरूसी होने के बावजूद भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भारी भूल की है जो निरस्त फरमाया जावे।

6. अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि आज भी खाता रामलाल, नारू व डालचन्द के नाम दर्ज है। इनमें से रामलाल व नारू फौत हो चुके हैं परन्तु अधिनस्थ न्यायालय से दिनांक 11.07.2007 से रिकॉर्ड की यथास्थिति का स्थगन होने से मृतक खातेदारों के बजाय हम पक्षकारान के नाम नामान्तरकरण निर्णित नहीं किया जा रहा है। अस्थायी निषेधाज्ञा पिछले 11 वर्षों से जारी है जबकि खातेदार रामलाल का निधन दिनांक 29.10.2007 को हो गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार रामलाल की सम्पत्ति में देवकिशन का हिस्सा निहित हो गया तथा देवकिशन की मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र–पुत्रियों का हिन्दू

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार हिस्सा स्वतः निहित हो गया फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने में त्रुटी की है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मृतक देवकिशन के वारिसों का किसी प्रकार से प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं होते हुए देवकिशन के वारिसों के पक्ष में सुविधा सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति नहीं होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों पर विचार नहीं कर सम्पूर्ण खाते पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने से अपीलार्थी अपने हक हिस्से की भूमि को विकसित करने व सरकारी सहायता से वंचित हो रहा है जिससे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि स्व0 रामलाल के द्वारा आराजी नम्बर 5095, 5096, 5101, 5102 कीता 4 रकबा 0.96 है0 में से 1/3 हिस्सा यानि 0.33 है0 भूमि जरिये पंजीबद्ध विक्रयपत्र से प्यारीदेवी को विक्रय कर दिया जबकि भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से बटवाड़ा होने तक प्रत्येक इंच पर मेरा अधिकार है परन्तु स्थगन होने से मुझ अपीलाण्ट को बेदखल किया जा सकता है। बहस में रेस्पोडेन्ट सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त विक्रय को माननीय सिविल न्यायालय में उचित मानते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। मूल वाद विचाराधीन है। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0 1 देवकिशन के वारिसान का स्व0 रामलाल जी की सम्पत्ति में 1/15 हिस्सा बनता है उक्त हिस्से तक ही अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी होते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण रकबे पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जो त्रुटीपूर्ण होने से खारिज योग्य है।

9. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं एवं संलग्न दस्तावेजों का

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अध्ययन किया। पत्रावली में अंकित सजरे को किसी भी पक्षकार के द्वारा अस्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रकरण में अंकित पक्षकार स्व0 भेरा जी के पुत्र, पुत्रीयां, पौत्र, पौत्रीयां है। जो इनके खाते की आराजीयात में इनकी मृत्यु के पश्चात हक हिस्सा पाने के अधिकारी हैं।

10. स्व0 भेरा जी के तीन पुत्र रामलाल, नारू व डालचन्द हुए इनमें से रामलाल व नारू फौत हो चुके हैं। इस प्रकार स्व0 भेराजी की सम्पत्ति में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा निहित है। स्व0नारू के एक पुत्र रतन है जो प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 अंकित है। स्व0 रामलाल के देवकिशन, सोहनलाल, लक्ष्मण तीन पुत्र व तुलछी, मांगी पुत्रियां है। इस प्रकार रामलाल के 1/3 हिस्से में प्रत्येक का 1/15 हिस्सा बनता है। इनमें से भी देवकिशन फौत हो चुका है जिनके रूकमणी देवी(पत्नि) थी वह फौत हो चुकी है। शांतिलाल व शंकरलाल दो पुत्र व नंदूदेवी, गणिया पुत्रियां है। इनमें से शांतिलाल फौत हो चुका है जिनका पुत्र चिराग, पुत्री सोनू व पत्नि राजी है जो अपील में रेस्पोडेन्टगण अंकित है। अपील के दौरान डालचन्द पिता भेरा की भी मृत्यु हो चुकी है परन्तु इनके 1/3 हक हिस्से तक किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहे जाने से आदेश दिनांक 07.08.2019 से नाम हटाया गया।

11. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2036 में खाता संख्या 113 में दर्ज साबिक आराजीयात नं0 कीता 23 कुल रकबा 54 बीघा 9 बिस्वा भूमि भेरा पिता लोबा कीर सा0देह दर्ज है। भेरा की मृत्यु पश्चात विरासत के नामान्तरकरण संख्या 2615 से खाता भेरा के बजाय रामलाल, नारू, डालचन्द के नाम अंकित हुई। उक्त साबिक आराजीयात से बनने वाले हाल नम्बर पत्रावली में संलग्न मिलान क्षैत्रफल अनुसार नकल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जमाबन्दी सम्वत् 2042 से 45 में खाता संख्या 1235 में दर्ज आराजीयात कीता 37 रकबा 10.16 हैक्टर श्री रामलाल, डालचन्द पिता भेरा 2/3 रतनलाल पिता नारू 1/3 कीर सा0देह खातेदार दर्ज है। इनमें से रतनलाल का 1/3 हिस्सा भूमि विकास बैंक भीलवाड़ा शाखा गंगापुर के रहन दर्ज अंकित है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्टगण की पैतृक होकर कब्जे काश्त की होकर संयुक्त हक हिस्से की प्रतीत होती है। प्रार्थी देवकिशन पिता रामलाल ने अपने स्व0 पिता रामलाल के 1/3 हिस्से में से स्वयं के 1/4 हिस्से का को किसी प्रकार से विपक्षी संख्या 2 व 3 अन्य किसी के हक में हस्तान्तरण नहीं करे न राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार की हेराफेरी करावें। प्रार्थी को जबरन बेदखल कर उसके हक की जमीन के उपयोग एवं उपभोग से वंचित न करें। प्रत्यर्थी संख्या 3 के 1/3 हिस्से के सम्बन्ध में स्व0 रामलाल व स्व0 नारू के वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होने से आदेश दिनांक 07.08.2019 से नाम हटा दिया गया है।

12. अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड पर मनन नहीं कर प्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 01 के पक्ष में एवं अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई कि विपक्षीगण प्रार्थी के उपरोक्त वादग्रस्त वर्णित आराजीयात में हक हिस्से की भूमि में दखलंदाजी न तो स्वयं करें व न अन्य से करावें तथा जबरन ताकत के बल पर कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें एवं न ही उक्त आराजीयात का कोई हस्तान्तरण विलेख पंजीयन ही करावें मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति मूलवाद के ताफैसला बनाये रखे। पक्षकारान के मध्य मूलवाद घोषणा, बटवाड़ा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पिछले 11 वर्ष से लम्बित है जबकि मूल खातेदारों की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मृत्यु हो जाने से उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के कारण से विरासत का नामान्तरकरण भी दायर नहीं किया जा रहा है जिससे अन्य पक्षकारान को अपनी भूमि के विकास एवं ऋण आदि लिए जाने में अनावश्यक परेशानी हो रही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश जारी कर प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि दखलंदाजी न करने, कराने , जबरन ताकत के बल पर कब्जेकाश्त से बेदखल नहीं करने बाबत अन्य विपक्षीगण व अपीलाण्ट को पाबन्द किया है। परन्तु हक हिस्से का स्पष्ट उल्लेख निर्णय में नहीं किया है। स्पष्ट हक हिस्सों का अंकन नहीं होने से आदेश स्वतः ही अस्पष्ट हो जाता है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य विपक्षीगण व अपीलाण्ट को इस आशय से भी पाबन्द किया है कि वे उक्त आराजीयात का कोई हस्तान्तरण विलेख पंजीयन न करावें, तथा राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के ताफैसला बनाए रखें। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय निर्णय अनुसार प्रार्थीगण केपक्ष में उनके द्वारा चाहे गए अनुतोष की हद से अधिक, तथा विपक्षीगण के हक हिस्से की शेष रही भूमि पर भी अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रभाव आ गया।

13. अपीलाण्ट द्वारा अपील में इस बाबत उजर पेश किया गया है तथा मेरा विनम्र अभिमत भी यही है कि चाहे गए अनुतोष से अधिक दिया गया अनुतोष पोषणीय नहीं है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि उभयपक्ष के हक अधिकारों को प्रथम दृष्टया निर्धारण कर प्रार्थी द्वारा चाहे गए अनुतोष की हद तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में जारी अपीलाधीन आदेश में किया गया विवेचन उचित पाते हैं। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में अंकित वादग्रस्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण संख्या 1/1 से 1/5 रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2/1, 1/2/2, 1/2/3, 1/3, 1/4, 1/5 का हिस्सा विवादित आराजीयात में निहीत होना पाया है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजीयात पैतृक होना तथा पैतृक आराजीयात में हिस्सा होना प्रार्थीगण द्वारा पर्याप्त साक्ष्य सबूतों से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 की हद तक प्रथमदृष्टया साबित कराया है। इस आधार पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में मान कर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी माना है।

15. उभयपक्ष को सुनने के बाद हम भी प्रथम दृष्टया प्रकरण बनना पाए जाने से तथा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए विवेचन से सहमत होने से प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट को उनके हक हिस्से तक की भूमि के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी पाते हैं।

16. अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2017 को निरस्त किया जाकर इस आशय से संशोधित आदेश बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाता है कि अपीलाण्ट व प्रत्यर्थी संख्या 2/1 से 2/3 वादग्रस्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण/प्रत्यर्थी सं0 1/2/1 से 1/2/2, 1/2/3, 1/3, 1/4, 1/5 के द्वारा चाहे गए अनुतोष की हद तक वर्णित आराजीयात के 1/15 हिस्से का कोई हस्तान्तरण, पंजीयन न करें न ही किसी अन्य को रहन, बह या मुन्तकील करें। राजस्व रिकॉर्ड के 1/15 हिस्से की यथास्थिति मूलवाद के ताफैसला बनाए रखें।

17. निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

5/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा